

संचालनालय आयुष, म०प्र०

(भू-तल "डी" विंग, सतपुडा भवन, भोपाल-462004)

www.ayush.mp.gov.in
E-mail: jdayush@mp.gov.in

Office (0755)2552931
Fax (0755) 2760225

दिनांक : 01/03/2023

-विज्ञप्ति-

-स्नातकोत्तर द्वितीय चरण संशोधित काउंसिलिंग कार्यक्रम (स्टेट कोटा)-

-एमडी/एमएस आयुर्वेद/एमडी होम्योपैथी/एमडी यूनानी/एमडी प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग-

म०प्र० एमडी/एमएस आयुर्वेद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम-2022, म०प्र० एमडी होम्योपैथी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम-2022, म०प्र० एमडी यूनानी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम-2022 तथा म०प्र० एमडी प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम-2022 के अनुक्रम में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग/म०प्र० शासन, आयुष विभाग से प्रवेशानुमति प्राप्त शासकीय स्वशासी एवं निजी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी/प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान महाविद्यालयों में प्रवेश की कार्यवाही एम०पी० ऑनलाइन के माध्यम से संपन्न कराई जायेगी।

प्रवेश काउंसिलिंग के अंतर्गत द्वितीय चरण का संशोधित कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

क्रमांक	विवरण	दिनांक एवं समय
1	रिक्त सीटों की स्थिति	दिनांक 13/03/2023
2	अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालयों की प्राथमिकता क्रम का निर्धारण (च्चाईस फीलिंग, लॉकिंग तथा ऐडिट)	दिनांक 14/03/2023 से 15/03/2023 रात्रि 11:59 बजे तक
3	सीट आवंटन	दिनांक 23/03/2023
4	महाविद्यालय में औपचारिकताएं पूर्ण कर अस्थाई प्रवेश प्राप्त करने की तिथि	दिनांक 24/03/2023 से 26/03/2023 सायं 05 बजे तक
5	प्रवेश निरस्तीकरण	दिनांक 24/03/2023 से 26/03/2023 रात्रि 11:59 बजे तक

नोट:-

- 1- प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी उक्त प्रकाशित ऑनलाइन काउंसिलिंग कार्यक्रम अनुसार आनलाइन प्रवेश का अवसर प्राप्त कर सकते हैं।
- 2- उपरोक्त काउंसिलिंग प्रक्रिया अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली/म०प्र० शासन, आयुष विभाग से प्रवेशानुमति प्राप्त शासकीय स्वशासी एवं निजी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी/प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान महाविद्यालयों को सम्मिलित किया जायेगा।
- 3- भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली/म०प्र० शासन, आयुष विभाग से प्रवेशानुमति हेतु लंबित शासकीय स्वशासी/निजी आयुष महाविद्यालयों को प्रवेशानुमति प्राप्त होने पर प्रवेश नियम के प्रावधान अनुसार काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा।
- 4- नियम/निर्देशों हेतु विभागीय वेबसाईट www.ayush.mp.gov.in एवं एम०पी० ऑनलाइन पोर्टल- www.mponline.gov.in का सतत अवलोकन करते रहें।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

2/3/23
औषधालय अधीक्षक
संचालनालय आयुष म०प्र०